



महाविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाओं की सम्बद्धता हेतु आवेदन की सूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 5(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत, उत्तर प्रदेश के ऐसे महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं जो ज्ञान की नैतिक शाखाओं के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.), नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की शिक्षा देते हों, इस विश्वविद्यालय से विभिन्न संकायों की आगामी सत्र हेतु सम्बद्धता का आवेदन इस शर्त के अधीन कर सकते हैं कि सम्बद्धता के पूर्व आर.सी.आई. से सन्दर्भित पाठ्यक्रम का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा। आर.सी.आई. से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इच्छुक सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी/सरकारी संस्थाएं/स्थानीय निकाय/स्वयं द्वारा संचालित संस्थाओं की इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उक्त के क्रम में मुझे यह सूचित किये जाने का निदेश हुआ है कि कन्सेप्ट ऑफ एफिलिएशन/सम्बद्धता हेतु आवेदन-प्रस्ताव दिनांक 12.07.2017 से निर्धारित आवेदन-प्रारूप पर निर्धारित शुल्क के साथ दो प्रतियों में जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के संबंध में आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप एवं अन्य वांछित सूचनायें आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://dsmru.up.nic.in> पर प्रयोगार्थ उपलब्ध हैं। समय-समय पर सम्बद्धता से सम्बन्धित/निर्गत वांछित सूचनायें/आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अद्यतन/उपलब्ध रहेंगी, अन्य किसी माध्यम से सूचना प्रदान नहीं की जायेगी।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक:637/पत्रा.412/डीएसएमएनआरयू/सम्बद्धता-आवेदन/2017-18

दिनांक 3.07.2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ ऑफिसर, कुलपति डॉ.श.मि.रा.पु.विश्वविद्यालय को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता (शैक्षणिक) एवं शैक्षणिक सलाहकार (माननीय कुलपति), विश्वविद्यालय।
3. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किये जाने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव